इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीड कैमरा, सीसीटीवी और स्पीड गन जैसे **इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों का उपयोग करके सड़क अनुशासन को और अधिक सख्त बनाने की तत्काल आवश्यकता** पर ज़ोर दिया। इसने **सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को** राजमार्गों तथा शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा हेतु ऐसी तकनीक के उपयोग को अनिवार्य बनाने वाले **कानूनी प्रावधान को लागू करने का निर्देश** दिया।

- यह कार्यान्वयन मोटर यान (MV) अधिनियम, 1988 **की धारा 136A के अंतर्गत आता है**, जिसे **सड़क सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को अनिवार्य करने के लिये वर्ष 2019 में संशोधन** के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
    - न्यायालय **ने राज्यों को समूहों में संगठित करके अनुपालन की निगरानी करने का निर्णय लिया** है और विशेष रूप से दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल की सरकारों को चिह्नित करते हुए उन्हें धारा 136A के अनुपालन पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
- न्यायालय ने राज्य सरकारों को **केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167A** का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
    - यह नियम विभिन्न यातायात उल्लंघनों जैसे तेज़ गति से वाहन चलाना, अनाधिकृत पार्किंग और सुरक्षात्मक उपकरण न पहनना, के लिये **चालान (दंड) जारी करने के हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों का** उपयोग करने के दिशा-निर्देशों को रेखांकित करता है।

और पढ़ें: मोटर यान अधिनियम, 1988; सड़क सुरक्षा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nationwide-implementation-of-electronic-challan-system